

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं० 26 /2019- सीमा शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2019

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के उद्देश्य से तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित नोटिसी के संबंध में, नीचे तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने हेतु एक सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य किए जाने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई (आयात), चेन्नई- II को एतद्वारा नियुक्त करती है अर्थात् :-

क्र०.सं. (1)	नोटिसी का नाम (2)	कारण बताओ नोटिस सं०. और तिथि (3)	निम्नलिखित हेतु जवाबदेह (4)
1.	मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स लिमि.	SG/Misc.-143/2011.CIU.JNCH दिनांक 08.10.2012	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)ए जेएनसीएच, न्हावा शेवा
2.	मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स लिमि.	S.Misc.1176/2011-12 Gr2 (SG/Misc- 143/2011 CIU,JNCH) दिनांक 09.10.2012	सीमा शुल्क आयुक्त (बंदरगाह- आयात), चेन्नई सीमा शुल्क सदन, चेन्नई

[फा. सं०. 437/14/2017 - सीमा शुल्क-IV]

जुबेर रियाज़

(जुबेर रियाज़)

निदेशक (सीमा शुल्क)